संख्या-13/2020/284/पॉच-9-2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
2. महानिदेशक, पिरवार कल्याण, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-9 लखनऊ:दिनांक 28 अप्रैल, 2020

विषयः कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के साथ-साथ वी.एच.एन.डी., टीकाकरण एवं एच.बी. एन.सी. सेवाओं के संबंध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं प्रदेश में कोरोना संक्रमण (कोविड-19) का प्रकोप परिलक्षित होते ही इसकी रोकथाम एवं प्रबन्धन हेतु समस्त संसाधनों को एकीकृत करते हुए सभी स्वास्थ्य पदाधिकारियों/सेवा प्रदाताओं द्वारा युद्धस्तर पर महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहें है, जिसके परिणामस्वरूप मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सामुदायिक आउटरीच सेवाएं स्थगित करने की बाध्यता थी, जिन्हे पुनः संचालित किया जाना है। कोविड-19 महामारी की स्थिति में भी जनमानस का स्वास्थ्य विभाग के प्रति विश्वास बनाए रखने एवं समुदाय में आवश्यक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं टीकाकरण संबंधी सेवाए प्रदान करना अत्यावश्यक है, जिससे किसी भी प्रकार की बीमारी के गम्भीर रूप लेने एवं मातृ -शिशु मृत्यु दर को बढ़ने से रोका जा सके।

2- प्रदेश में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं जैसे प्रसवपूर्व देखभाल, गृह आधारित नवजात की देखभाल, टीकाकरण, उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की जांच एवं परिवार नियोजन संबंधी सेवाएं समुदाय स्तर पर पुनः प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए:-

(1) उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-2, ज्ञाप संख्या 1103/सेक-2-पांच-2020-आर-1023/2020 दिनांक 24 अप्रैल 2020 द्वारा 18 जनपदों (20 से ज्यादा कोविड-19)यथा-आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, शामली, मेरठ, फिरोजाबाद, सहारनपुर, रायबरेली, बिजनौर, अमरोहा, बुलन्दशहर, बस्ती, सीतापुर, औरैया एवं सम्भल में कोविड-19 के अधिक केस संज्ञानित हुए है। अतः इन जनपदों में सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं एवं गतिविधियां तब तक निलंबित रहेगी जब तक वहां की स्थिति में सुधार नही हो जाता है।

(2) 40 जनपदों यथा-अलीगढ, आजमगढ, अयोध्या, बागपत, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बदायूं, एटा, गाजीपुर, गोण्डा, हापुर, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कन्नौज, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मिर्जापुर, मुजफ्ॅफरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ, प्रयागराज, रामपुर, संतकबीर नगर, भदोही, शांहजहांपुर, सुल्तानपुर, उन्नाव एवं वाराणसी में उन ब्लॉकों/शहरी क्षेत्रों जहां पर कोविड-19 के केस दर्ज हुए है, को छोडकर अन्य सभी ब्लॉकों/शहरी क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व जांच एवं बच्चों हेतु टीकाकरण सेवाएं पूर्व की भांति दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन ए.एन.एम./आशा या अन्य स्वास्थ्य कर्मियो जिनकी कोविड-19 के हॉट स्पॉट कन्टेनमेंट क्षेत्र गतिविधि में ड्यूटी लगाई है अथवा जो ए0एन0एम0/आशा या अन्य स्वास्थ्य कर्मी जो हाट स्पाट कन्टेनमेंट क्षेत्र में निवास करते है उनकी ड्यूटी उपरोक्त कार्य हेतु ना लगायी जाय। उपरोक्त स्वास्थ्यकर्मियों के क्षेत्र मे वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए कार्य सम्पादित कराना सुनिश्चत कराया जाए।

(3) शेष 17 जनपदों यथा-अम्बेडकर नगर, अमेठी, बलिया, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, देवरिया, फर्रूखाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर देहात, कुशीनगर, ललितपुर, चन्दौली, सोनभद्र, एवं फतेहपुर (जहॉ कोविड-19 का कोई केस दर्ज नहीं हुआ है) में गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व जांच एवं बच्चों हेतु टीकाकरण सेवाएं पूर्व की भांति चिकित्सा इकाईयों में निश्चित दिवस पर एवं समुदाय स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के दिन यथावत दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

3- यदि किसी भी जनपद में कोई नया कोविड-19 का केस आता है अथवा जनपद की उपरोक्तानुसार (क्रमांक 1,2 एवं 3) स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अपेक्षित है कि वह नई स्थिति के अनुरुप कार्य करना सुनिश्चत करें।

4- उपरोक्त क्रम में ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस (वी.एच.एन.डी.) का आयोजन एवं आशा द्वारा एच.बी.एन.सी. कार्यक्रम के माध्यम से समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य संबन्धित सेवाऐ सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायें:-

(I) समुदाय स्तर पर कोविड-19 संक्रमण संबंधी सावधानियों का पालन करते हुए वी.एच.एन.डी. सत्रो का आयोजन एवं गर्भवती महिलाओ की देखभाल-

- वी.एच.एन.डी. सत्रो से पूर्व आषा कार्यकत्री द्वारा ऐसे गर्भवती महिलाओं की जिनमें कोविड-19 से सम्भावित संक्रमित होने के लक्षण पाया जाता है तो ऐसे सभी संदिग्ध गर्भवती महिलाओं की सूची प्रभारी चिकित्साधिकारी को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जाये।
- वी.एच.एन.डी. सत्रो के आयोजन के समय सोशल डिस्टेन्सिंग, मास्क पहनने, साबुन से हाथ धोने एवं संक्रमण रोकथाम संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए।
- आशा द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर भी प्रसवपूर्व सेवाएं लेने के लिए गर्भवती महिलाओं को सोशल डिस्टेंन्सिंग का अनुसरण करते हुए मोबिलाइज किया जाए।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- वी.एच.एन.डी. सत्र के परिसर या क्षेत्र को कोविड-19 कीटाणुरहित करने के लिए स्थानीय पंचायत के सदस्यों की सहायता से 0.1: ब्लीचिंग पाउडर सॉल्युशन (30 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर/लीटर पानी में) का प्रयोग कर डिसइन्फेक्ट किया जाए।
- यदि कहीं पर भी वी.एच.एन.डी. सत्र के आयोजन स्थल को क्वारेन्टाईन सेन्टर के रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो आशा अपने क्षेत्र में वी.एच.एन.डी. के आयोजन हेतु वैकल्पिक स्थान चिन्हित करें जो कि समुदाय के लोगो की पहुंच में हो, साथ ही स्थल परिवर्तन के संबंध में ए.एन.एम. एवं समुदाय को भी सूचित करें।
- ए.एन.एम. द्वारा उपयोग किए जा रहे सभी उपकरणों यथा बी.पी. उपकरण, स्टेथोस्कोप आदि को प्रत्येक उपयोग से पहले सैनिटाइजर द्वारा डिसइन्फेक्ट किया जाना अनिवार्य है।
- वी.एच.एन.डी. सत्र पर हाथ धोने के लिए एक कॉर्नर अवश्य बनाया जाए जहां पर एक बाल्टी, स्वच्छ पानी, एक मग और एक साबुन की व्यवस्था होनी चाहिए।
- ए.एन.एम. आशा एवं आंगनवाडी द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि वी.एच.एन.डी. सत्र पर आए सभी लाभार्थी/देखभालकर्ता साबुन पानी से कम से कम 20 सेकेण्ड तक हाथ धोकर ही प्रवेश करें।

(II) प्रथम पंक्ति कार्यकर्ताओं (ए.एन.एम. आशा एवं आंगनवाडी कार्यकत्री) द्वारा स्वयं की सुरक्षा हेतु सावधानियां-

समुदाय में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने से पहले सभी प्रथमपंक्ति कार्यकर्ताओं द्वारा स्वयं की सुरक्षा हेतु निम्न सावधानियां अवश्य बरती जायें:-

ए.एन.एम. आशा एवं आंगनवाडी कार्यकत्रीयों द्वारा सेवा प्रदान करते समय मास्क का प्रयोग अवश्य किया जाए। ए.एन.एम. द्वारा प्रत्येक गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व जांच के समय नये दस्तानों का प्रयोग किया जाए।

- ए.एन.एम. द्वारा सत्र के प्रारम्भ होने से पूर्व स्वच्छता के मानक प्रोटोकॉल अनुसार कम से कम 20 सेकण्ड तक साबुन पानी से हाथ अवश्य धोना चाहिए ।
- प्रत्येक लाभार्थी को टीका लगाने या प्रसवपूर्व सेवाएं देने के बाद सैनिटाइजर से हाथ को साफ करना सुनिश्चित करे।
- प्रत्येक ए.एन.एम. के पास कम से कम एक सैनिटाइजर प्रति सत्र अवश्य उपलब्ध कराया जाए और सत्र के दौरान ए.एन.एम., आशा एवं आंगनवाडी द्वारा इसका उपयोग किया जाए।
- लभार्थीयों एवं साथ आए व्यक्तियों को भी मास्क के उपयोग के लिए प्रेरित करे। यदि मास्क उपलब्ध नही हो तो कॉटन कपडा/गमछा उपयोग करने की सलाह दें।
- गर्भावस्था में प्रसवपूर्व जांच में शरीर के तरल पदार्थ का परीक्षण जैसे कि मूत्र परीक्षण आदि करने में विशेष सावधानी रखें एवं संक्रमण से बचाव के आवश्यक उपायों/निर्देशों का अनुपालन करें।
- यदि किसी भी प्रथम पंक्ति कार्यकर्ताओं में इन्फलूएन्जा लायक इन्फेक्शन के लक्षण (सर्दी, खॉसी, गले में खराश एवं बुखार) परीलक्षित होते है तो उसे तत्काल ड्यूटी से प्रतिबंधित करते हुए कोविड-19 की जॉच आदि की कार्यवाही की जाये।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(III) सोशल डिस्टेंन्सिंग का अनुसरण करते हुए लाभार्थीयों को मोबिलाईज करना-

- आशा एवं आंगनवाडी कार्यकत्री द्वारा उस सत्र की ड्यू लिस्ट के अनुसार गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को घंटावार स्लॉट के अनुसार विभाजित कर उनका मोबिलाइजेशन उसी स्लॉट के अनुसार सुनिश्चित करवाए जिससे एक समय में भीड इकठ्ठी न हो।
- आशा एवं आंगनवाडी कार्यकत्रियां यह भी सुनिश्चित करें की प्रत्येक स्लॉट में बुलाए गए लाभार्थी सोशल डिस्टेंन्सिंग (दो लाभार्थीयों के मध्य कम से कम 1 मीटर की दूरी) का अनुसरण करें।
- लाभार्थीयों के मोबिलाइजेशन में गृह भ्रमण के दौरान आशा एवं आंगनवाडी कार्यकत्री उनके वी.एच.एन.डी. सत्र पर आने के समय स्लॉट को अवश्य बताए और उसके पालन के लिए लाभार्थी एवं परिवार के सदस्यों से अनुरोध करें।
- लाभार्थीयों को मोबिलाइज करने में आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकत्रीयां इस बात पर अवश्य जोर दे कि प्रत्येक लाभार्थी के साथ एक से अधिक देखभालकर्ता न हो एवं यदि परिवार में किसी को भी बुखार खांसी या सांस लेने में तकलीफ के लक्षण है तो वे वी.एच.एन.डी. सत्र पर ना आएं। ऐसे परिवार के संबंध में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को सूचित करे।
- किसी भी वी.एच.एन.डी. सत्र में एक समय पर 4 से अधिक लाभार्थी एकत्रित नही होने चाहिए।

(IV) वी.एच.एन.डी. सत्र के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक्स-औषधियों की आपूर्ति एवं समन्वय-

- संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने अधीनस्थ सभी चिकित्सा अधिकारियों/अधीक्षकों को वी.एच.एन.डी. सत्र के आयोजन हेतु आवश्यक लॉजिस्टिक्स एवं औषधियों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करवाने हेतु निर्देशित करे।
- साथ ही वी.एच.एन.डी. सत्रो के आयोजन हेतु संबंधित विभागों जैसे पंचायत एवं आईसी.डी.एस. आदि से समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहयोग प्राप्त करना सुनिश्चित करे।
- प्रदेश के सभी जनपदो में संस्थागत प्रसव के बाद बर्थ डोज वैक्सीन पूर्व की भांति ही दिया जाता रहे।

(V) कोविड- 19 महामारी के दौरान आशा द्वारा एच.बी.एन.सी. (गृह आधारित नवजात की देखभाल)-

- आशा द्वारा गृह आधारित नवजात की देखभाल के समय स्वयं के बचाव हेतु निम्न सावधानियां रखी जाए-
- सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और भ्रमण के दौरान मां और बच्चे को बिना छुए ही बात करे।
- गृह भ्रमण के पहले और बाद में हाथ को साबुन और पानी से कम से कम 20 सेकण्ड तक अवश्य धोएं।
- आशा द्वारा भ्रमण के दौरान मास्क का प्रयोग अवश्य किया जाए।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- कोविड-19 महामारी के दौरान आशा द्वारा गृह आधारित नवजात की देखभाल निम्न दिशा-निर्देशानुसार सुनिश्चित करायी जाय -

- आशा द्वारा क्रम सं. 1 में उल्लेखित जनपदो में एच.बी.एन.सी. (गृह आधारित नवजात की देखभाल) भ्रमण नही किया जाना है। इसके स्थान पर दूरभाष पर मां एवं बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली जाए। इसके लिए नीचे दिए गए बिन्दु क्र.सं. 1 से 6 तक की जानकारी ली जाए।
- आशा द्वारा क्रम सं. 3 में निर्दिष्ट 17 जनपदो में एवं क्रम सं. 2 में निर्दिष्ट 40 जनपदो में उन ब्लॉकों जहां पर कोविड-19 के केस दर्ज हुए है, उन्हे छोडकर अन्य सभी ब्लॉकों में एच.बी.एन.सी. भ्रमण पूर्व की भांति सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन आशाओं जिनकी कोविड-19 के हॉट स्पॉट कन्टेनमेंट क्षेत्र गतिविधि में ड्यूटी लगाई है उन्हें छोडकर सभी आशाएं यथावत कार्य करेगीं। उपरोक्त आशा क्षेत्रों में वैकल्पिक व्यवस्था के करते हुए एच.बी.एन.सी. भ्रमण किया जाए।
- आशा द्वारा उच्च जोखिम वाले नवजात शिशुओं (जन्म के समय कम वजनए एस.एन.सी.यू. से डिस्चार्ज एवं घर पर हुए प्रसव वाले नवजात शिशु) के घर का प्राथमिकता के आधार पर भ्रमण किया जाए।
- आशा ध्यान रखें कि नवजात के घर के भ्रमण के दौरान मां और बच्चे को नही छुएगी और निम्न बातें पूछ कर परीक्षण करेगी:-

1. नवजात में खतरे के लक्षणों जैसे- सुस्ती बेहोशी या शरीर छूने पर ठंडा/गर्म के बारे में और स्तनपान कराने के बारे में पूछे।
2. यदि प्रसव अस्पताल में हुआ है तो आशा जन्म के समय का वजन पूछेगी और पूछकर आंकलन करे कि बच्चे को रेफरल की आवश्यकता तो नही है।
3. मां एवं परिवार को नवजात शिशु को कपडे में लपेटकर और कंगारू मदर केयर द्वारा गर्म रखने की सलाह दे।
4. मां एवं परिवार को प्रसव के बाद मां एवं बच्चे में होने वाले खतरे के लक्षणों के बारे में बताए।
5. बच्चे की मां को छः माह तक केवल स्तनपान कराने की सलाह दे एवं परिवार नियोजन का साधन अपनाने हेतु प्रेरित करे।
6. यदि पूछताछ में बच्चे में किसी भी प्रकार के खतरे के लक्षण पाएं जाते है तो बी.सी.पी.एम. को सूचित करे और 102 एम्बुलेन्स द्वारा बच्चे को संदर्भित कर समुचित सेवाएं प्रदान करवाए।

7- अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त प्रस्तर-1 से 6 में वर्णित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-13/2020/284(1)/पॉच-9-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2- प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश शासन।

3- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

5- अधिशासी निदेशक, उ.प्र. तकनीकी सहयोग इकाई, उ.प्र.।

6- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चि0स्वा0 एवं प0क0, उ0प्र0।

7- राज्य प्रतिनिधि - डब्ल्यू.एच.ओ., यूनिसेफ, यू.एन.डी.पी.।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम नगीना मौर्य)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।